

OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX, KERALA ZONE, C.R. BUILDINGDG, I.S PRESS ROAD, COCHIN-18 Tel-0484-2394100 Fax-2397614

Email: cccochin@excise.nic.in.

Central Excise, Customs and Service Tax, Kerala Zone is proposing to constitute a regular panel of Senior/Junior Standing Counsels for handling cases of Indirect Taxation cases before various High Courts, Tribunals and other Courts for a period of three years.

The process of constitution of regular panel of Senior / Junior standing Counsels afresh in line with CBEC instructions dated 5/12/2007 has been initiated under Cochin, Trivandrum and Calicut Central Excise, Custom House, Cochin and Custom (Preventive), Cochin, Commissionerates, for cases relating to Central Excise, Customs and Service Tax.

Willingness from eligible advocates well versed in Customs, Central Excise and Service Tax matters who handles the cases in High Courts, Tribunals or other Courts are hereby invited. The eligible advocates may submit their willingness in the prescribed Proforma 'A/A-1' to the Chief Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax, C.R. Building, 1.S.Press Road, Cochin-18 on or before 25th July ,2015.

The procedure for appointment of Counsels and Proforma 'A/A-1' is uploaded on website at 'www.cenexcisekochi.gov.in'

(Y.C.SASWAMY)
ADDITIONAL COMMISSIONER (CCO)



OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX, KERALA ZONE, C.R. BUILDINGDG, I.S PRESS ROAD, COCHIN-18 Tel-0484-2394100 Fax-2397614 Email: cccochin@excise.nic.in.

Corrigendum to Advt. dated 14.07.2015

Acceptance date of applications for Central Government Standing Counsels (Sr./Jr.) has been extended upto 18th August, 2015. Other conditions of eligibility as per advertisement dated 14.07.2015 remains unchanged. The procedure for appointment of Standing Counsels in the department of Central Excise, Customs & Service Tax is available in websites 'www.cbec.gov.in' and 'www.cenexcisekochi.gov.in'

(Y.C.S. SWAMY)
ADDITIONAL COMMISSIONER (CCO)



केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर मुख्य आयुक्त का कार्यालय केरल क्षेत्र, केन्द्रीय राजस्व भवन, आई.एस.प्रेस रोड, कोचिन -682018 दूरभाष -0484-2394100 फ़ैक्स -2397614

ई-मेल : cccochin@excise.nic.in

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर, केरल क्षेत्र में तीन साल की अवधि के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों, अधिकरणों और अन्य अदालतों के समक्ष अप्रत्यक्ष कराधान मामलों से निपटने के लिए कनिष्ठ/ वरिष्ठ स्थायी वकीलों की एक नियमित पैनल गठित करने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर से संबंधित मामलों के लिए,केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के दिनांक 5.12.2007 के अनुदेशों के अनुसार नए सिरे से कनिष्ठ/ विरष्ठ स्थायी वकीलों के नियमित पैनल के गठन की प्रक्रिया, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोचिन, तिरुवनंतपुरम और केलिकट, सीमा शुल्क गृह, कोचिन और सीमा शुल्क (निवारक), कोचिन आयुक्तालयों में शुरू की गई है।

सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर मामलों में निपुण योग्य वकीलों की सम्मति, जो उच्च न्यायालयों, अधिकरणों या अन्य अदालतों में मामलों को संभालते हैं, इसके द्वारा आमंत्रित कर रहे हैं। योग्य वकील निर्धारित प्रोफार्मा 'ए / ए -1' में उनकी सम्मति केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय राजस्व भवन, आई.एस.प्रेस रोड, कोचिन -18 को दिनांक 25 जुलाई 2015 को या उस से पहले प्रस्त्त कर सकते हैं।

वकीलों की नियुक्ति की कार्यप्रणाली और प्रोफार्मा 'ए / ए -1www.cenexcisekochi.gov.in' वेबसाइट पर अपलोड की गई है ।

(वै.सी.प्रम.स्वामी) अपर आयुक्त (मु.आ.का.)



केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर मुख्य आयुक्त का कार्यालय केरल क्षेत्र, केन्द्रीय राजस्व भवन, आई.एस.प्रेस रोड, कोचिन -682018 दूरभाष -0484-2394100 फ़ैक्स -2397614

ई-मेल : cccochin@excise.nic.in

दिनांक 14.07.2015 के विज्ञापन के लिए शुद्धिपत्र

केन्द्रीय सरकार स्थायी वकीलों (वरिष्ठ /कनिष्ठ) के लिए आवेदनों की स्वीकृति की तिथि 18 अगस्त 2015 तक बढ़ा दिया गया है । पात्रता की अन्य शर्तों में, जो दिनांक 14.07.2015 के विज्ञापन के अनुसार है, कोई परिवर्तन नहीं है । केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,सीमा शुल्क एवं सेवा कर विभाग में स्थायी वकीलों की नियुक्ति की कार्यप्रणाली 'www.cbec.gov.in' और "www.cenexcisekochi.gov.in' वेबसाइटों में उपलब्ध है ।

(वै.सी.प्स.स्वामी) अपर आयुक्त (म्.आ.का.)